भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-995

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत संयंत्रों हेतु मानक

995. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ कुशल विद्युत संयंत्र वर्तमान में कोयले की कमी से जूझ रहे हैं जबकि कम उपयोग रिकार्ड वाले संयंत्रों के पास प्रचुर मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए नियमों के तहत निजी विद्युत संयंत्रों से विद्युत की लैंडेड लागत राज्य के विद्युत उत्पादन संयंत्र की उत्पादन की चर लागत से कम होनी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में जहां रेलवे ने यह पाया है कि निजी विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्थानान्तरण संभव नहीं है तब वह संयंत्र नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत संयंत्र मेरिट आर्डर डिस्पैच आधार पर शुरू किए जाते हैं। इसलिए दक्ष संयंत्र को तदनुसार शुरू किए जाने तथा उसमें कोयला खपत किए जाने की संभावना है जिससे कभी-कभी संयंत्र पर उपलब्ध स्टॉक में कमी आ जाती है।

सरकार ने 2016 में विद्युत की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों के बीच घरेलू कोयले के प्रयोग में लचीलेपन की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार प्रत्येक कोयला लिंकेज की वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) किसी उत्पादन केंद्र के बजाए प्रत्येक राज्य एवं कंपनी के स्वामित्व वाले केंद्रीय उत्पादन केंद्रों के लिए समेकित किए गए अनुसार एकत्र की जानी होती है। राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के पास स्वयं अपने विद्युत संयंत्रों में अपने कोयले को सबसे अधिक कुशल तथा लागत प्रभावी तरीके से तथा सस्ती विद्युत के उत्पादन हेतु अन्य राज्य/केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनी

संयंत्रों को कोयला हस्तांतरित करके प्रयोग करने का लचीलापन है। इस प्रकार राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियां अपने संयंत्रों की कुशलता के अनुसार अपना कोयला प्रयोग करते हैं।

(ख) से (घ) : विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन के अंतर्गत राज्य द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) उत्पादन केंद्रों को हस्तांतरित कोयले के उपयोग की पद्धति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, राज्य अपने कोयले को डायवर्ट कर सकते हैं तथा प्रतिस्पर्द्धी आईपीपी से ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आईपीपी उत्पादन केंद्रों से उतनी ही विद्युत ले सकते हैं।

इस पद्धति के दिशा-निर्देश सिद्धांत यह हैं कि राज्य की परिधि में आईपीपी उत्पादन केंद्र से विद्युत पहुंचने की लागत राज्य उत्पादन केंद्र जिसकी विद्युत आईपीपी से उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित की जानी है, की उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से कम होनी चाहिए। विद्युत पहुंचने की लागत में पारेषण प्रभार तथा पारेषण हानियां शामिल हैं।

आईपीपी उत्पादन केंद्रों के चयन के लिए ई-बोली प्रक्रिया के दौरान, राज्य अधिसूचित एजेंसी द्वारा रेल मंत्रालय को आईपीपी उत्पादन केंद्र को कोयले की रेल द्वारा ढुलाई की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता (कोटेशन हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) बोलियां खोलने के बाद छांटी गई) के संबंध में पत्र भेजा जाएगा। ढुलाई किए जाने वाले कोयले की मात्रा तथा समय-सीमा जिसके दौरान यह ढुलाई आवश्यक है, का ब्यौरा संबंधित राज्य अधिसूचित एजेंसी द्वारा रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय (रेल मंत्रालय) को भेजा जाएगा। प्रचालनात्मक महत्व के आधार पर रेल मंत्रालय पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपनी सहमति अथवा अन्यथा सूचित करता है। वे आईपीपी जहां कोयले का हस्तांतरण रेलवे द्वारा बताए गए अनुसार व्यवहार्य नहीं है, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) चरण में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

****